फार्म नं. 3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
[illegible]	वकुलाय उपस्थित। पक्षकारान् के अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि समान वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पूर्व मे राजस्व विविध प्रकरण सं. 223/2010 बअनवान बगाराम बनाम् लूणाराम प्रार्थी बगाराम् द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिस प्रकरण मे मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी तलब की गई थी। उक्त रिपोर्ट के अनुरूप दोनो ही पक्षकारान् एक दूसरे की भूमि मे हस्तक्षेप नही करने हेतु सहमत रहे है। जिस पर न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को पाबन्द किया गया था एवं उसी अनुरूप उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी दिनांक 19.10.2015 को दिया गया। पक्षकारान् द्वारा उक्त आदेश बाबत् सहमति आज भी जाहिर की गई। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पुत्र गोविन्द का परिवार बढ जाने के कारण तथा उक्त मकान मे एक ही कमरा होने के कारण अत्यधिक समस्या का सामना करना पड रहा है तथा गोविन्द के कब्जे वाले मकान की प्रथम मंजिल पर निर्माण कार्य किया जाना भी आवश्यक है। जिसके लिए अनुमति प्रदान किये जाने, इसी प्रकार प्रार्थी बगाराम के कब्जे वाले मकान भी अत्यन्त ही पुराना होने एवं पूर्व मे निर्मित टांका पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसके पानी के रिसाव के कारण मकान पूर्णतः कमजोर होने एवं रहवासिय परिसर मे शौचालय नही होने तथा प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के वृद्ध व्यक्ति होकर अनेक बीमारियो से ग्रसित होते हुए घुटने की गंभीर समस्या से ग्रसित होने के कारण घर मे टांके का जीर्णोद्धार करवाये जाने तथा शौचालय के निर्माण की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। पक्षकारान् उपरोक्तानुसार निर्माण हेतु सहमत है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उनके पक्षकार भी वृद्ध है तथा उन्हे भी शौचालय बनाये जाने की आवश्यकता है। अतः ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यो एवं गुणावगुण पर बिना किसी प्रकार की टिप्पणी किये न्यायालय इस शर्त पर प्रार्थी को गोविन्द वाले मकान की प्रथम मंजिल पर तथा प्रार्थी बगाराम के मकान मे बने टांके के जीर्णोद्धार एवं शौचालय के निर्माण तथा अप्रार्थी के कब्जे वाले मकान मे शौचालय निर्माण की अनुमति प्रदान किया जाना उचित समझता है कि कोई भी पक्षकार वाद के विचारण के दौरान किये गये निर्माण बाबत् किसी प्रकार के अपने विशिष्ट हक अधिकार क्लेम नही करेगा तथा ऐसा निर्माण कार्य वाद के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा। जो समस्त निर्माण कार्य पक्षकारान द्वारा आदेश की दिनांक से 3 माह के भीतर भीतर पूर्ण किया जायेगा। चूंकि वादग्रस्त जायदाद के संबंध मे न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं. 223/10 बअनवान बगाराम बनाम् लूणाराम मे दिनांक 19.10.2015 को यथास्थिति का आदेश पारित किया जा चुका है जिस कारण हस्तगत प्रकरण मे पृथक से कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नही है। दोनो ही पक्षकारान् उक्त आदेश से ताफैसला मूल वाद पाबंद रहेंगे। उपरोक्तानुसार पत्रावली का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2020.03.17 16:50:38 IST
Reason: SelfAttested